न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 58/2025 (अपील)

जी.सी.एम.एस. नं. – 2025/135

उनवान

मुकेश कुमार पुत्र जमनालाल जाति महाजन निवासी 2 सी 10 जिला कोटा (राज0)

(अपीलान्ट)

बनाम

1. रामनिवास पुत्र हीरालाल जाति बैरवा निवासी ग्राम बृजलिया तहसील कनवास जिला कोटा ।।
2. राजाराम पुत्र चतरा जाति बैरवा निवासी ग्राम बृजलिया तहसील कनवास, जिला कोटा ।
3. फूलचंद पुत्र रामदेव जाति मेधवाल निवासी ग्राम कुशालीपुरा तहसील कनवास जिला कोटा।

(रेस्पोडेन्टस्)

उपस्थित :– श्री इस्हाक मोहम्मद (अपीलान्ट)
श्री जगदीश नन्दवाना (रेस्पोडेन्ट)

अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 23.6.2025 न्यायालय तहसीलदार कनवास, अर्न्तगत धारा 75 रा.लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय दिनांकः– 23/01/26

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है किं अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के केस को अवेध एवं गैरकानूनी रूप से खारिज करते हुए भूमि ख.न. 171 के स्थान पर उसका कब्जा मानते हुए बेदखली का आदेश पारित किया गया। जबकि वह ख.न. 171 का न होकर भूमि ख. न. 25 का है जो अपीलन्टस् के खातेदारी भूमि है। इस लिए निर्णय अधीनस्थ न्यायालय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई गौर नही फरमाया कि विवादित आराजीयात् में अपीलान्ट का विधुत कनेक्शन लगा हुआ है। इस संबध में रेस्पोडेन्ट कम 1 को कभी कोई आपत्ति नही रही है। उक्त भूमि को अपीलान्ट द्वारा दिनांक 17.4.2014 को खातेदार मथुरालाल के वारिसान से कय किया है। मथुरालाल माली उक्त भूमि पर करीबन 80 वर्ष से अधिक काश्त करता चला आ रहा था। जबकि रामनिवास का कब्जा प्रारम्भ से ख.न. 65–66 की भूमि पर चला आ रहा है। रामनिवास रेस्पोडेन्ट कम 1 ने उक्त भूमि को करीबन 20 वर्ष से अधिक समय से धनश्याम एवं

अति. जिला कलक्टर
कोटा

छीतरलाल बागरी को क्रय कर चुका है। रेस्पो0क्रम 1 का यह कथन है कि उसने खसरा नम्बर 171 की भूमि को अपीलान्ट को मुनाफा काश्त जुपाने दी थी सर्वथा गलत है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर गौर नही किया कि सेटलमेन्ट पूर्ण उक्त खसरा नं. 25 गत नं. 12 मिन थें तथा रकबा 9 बीधा था। उक्त भूमि का गैर खातेदार 2058 से 2077 पूर्व में मथुरालाल पुत्र तेजा जाति माली निवासी कुशालीपुरा था। उक्त भूमि उसको दिनांक 8.2.1985 को आंवटित की गई तथा कब्जा दिया गया था तथा नक्शे तैयार किये गये थें। सेटलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान नक्शे उलट पुलट होने के कारण पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसलिए निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 23.06.2025 को पारित किया गया। उक्त निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.7.2025 को नकल प्राप्त हुई। अपीलान्ट उसके उपरान्त गंभीर रोग से पीडित होने के कारण अपीलान्ट अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत नही कर सका तथा दिनांक 28.8.2025 को रास्ता खुलने पर अपील अवधि मध्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस् स्वीकार कर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जर्ये समन्न की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश नन्दवाना द्वारा वकालतनामा पेश किया।

पत्रावली में बहस सुनी गई। वकील अपीलान्टस् पत्रावली में लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट रामनिवास का कब्जा कभी भी ख.न. 171 की भूमि पर नही रहा। उक्त स्थान पर अपीलान्ट के खाते की आराजी ख.न. 25 है जो अपीलान्ट की क्रयशुद्वा एवं खाते की भूमि है। सेटलमेन्ट के कारण उक्त स्थिति उत्पन्न हुई है जिसका निराकरण विवादित भूमियो के सीमाकंन एवं पत्थरगढी की कार्यवाही से समाप्त हो सकता है। विवादित भूमि पूर्व मे ही बागरी समाज के व्यक्तियो को क्रय कर चुका है। उक्त भूमि को ख.न. 25 की मानते हुए तत्कालीन पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट भी की गई है तथा उसके पश्चात ही अपीलान्ट का विधुत कनेक्शन हुआ है। उक्त भूमि को खातेदार मथुरालाल के वारिसान से क्रय किया है।

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे। बहस तथ्यो के अनुसार उक्त भूमियो को सीमांकन व पत्थरगढी करवाये जाने के संबध में प्रकरण को रिमाण्ड फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस निवेदन किया रेस्पोडेन्ट क्रम 1 रामनिवास विवादित आराजीयात् का रेकार्डेड खातेदार है। रामनिवास द्वारा ही अपने खाते की आराजी से बेखली व कब्जा छुडवाने बाबत् अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय की गई कार्यवाही में कोई त्रुटि नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नियमानुसार बाद सुनवाई किया गया है। अतः अपील खारित फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जावे। वकील

अति. जिला कलक्टर
कोटा

रेस्पोडेन्टस् कम 1 रामनिवास द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

1— आर.आर.डी. 1995 पेज नं. 216

2— आर.आर.डी. 1996 पेज नं. 511

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। यह अपील आदेश दिनांक 23.06.2025 के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र धारा 5 के साथ दिनांक 28.08..2025 को पेश की गई है, जो विलम्ब से पेश हुई है। विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का मुख्य कारण अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने पर होने के कारण व अपीलान्ट गंभीर रोग से ग्रसित होने से विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना अवगत करवाया है। अतः न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कनवास के निर्णय दिनांक 23.06.2025 के विरूद्व पेश की है। वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी लिखित बहस में अंकित किया है कि विवादित आराजीयात् के खसरा नम्बर व अपीलान्ट के खाते की भूमि पास में स्थित होने के कारण सेटलमेन्ट ऑपरेशन होने के कारण खसरा नंबर की उलट पुलट होने होने से उक्त स्थिति उत्पन्न हुई है। रामनिवास का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा है तथा रामनिवास रेस्पोडेन्ट कम 1 ने उक्त भूमि को बागरी जाति के लोगो को विक्रय कर दिया है। रामनिवास स्वंय को अपनी भूमि की जानकारी नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह मत है कि यदि विवादित आराजीयात् के खसरा नम्बरान् की सेटलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान खसरा नम्बर की त्रुटि हुई है तो अपीलान्ट को सेटलमेन्ट की त्रुटि को सही करवाने हेतु संक्षम न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए था। अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजीयात् को क्रय किया जाना बताया गया है किन्तु पत्रावली में बेचान संबधी कोई दस्तावेज संलग्न नही है। वकील अपीलान्ट से स्वंय अपनी लिखित बहस में यह माना है कि सेटलमेन्ट के कारण उक्त स्थिति उत्पन्न हुई है जिसका निराकरण विवादित भूमियो के सीमाकंन एवं पत्थरगढी की कार्यवाही से समाप्त हो सकता है। अपीलान्ट को विवादित आराजीयात् के संबध में सेटलमेन्ट की त्रुटि एवं भूमि के सीमाकंन की कार्यवाही संक्षम न्यायालय में करनी चाहिए।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.06.2025 में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नही होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 23/01/26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा